नियम 107 : समय का विस्तार

जहां कोई अवधि किसी कार्य को करने, या कोई दस्तावेज या अभ्यावेदन फाइल करने के लिए इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अपील अधिकरण द्वारा नियत की जाती है, या दी जाती है, वहां अपील अधिकरण समय–समय पर न्याय के हित में और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपने विवेकानुसार ऐसी अवधि को बढ़ा सकेगा, भले ही इन नियमों द्वारा या इनके अधीन नियत की गई या अपील अधिकरण द्वारा दी गई अवधि समाप्त हो गई हो।